न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 2492–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2016 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 42/अपील/2015–16.

.....

1–राकेश चौकसे पिता श्यामलाल चौकसे
निवासी ग्राम नरवर तहसील व जिला रायसेन
2–रितेश मालवी पिता संतोष मालवी
निवासी विकास नगर चिचोली तहसील चिचोली
जिला बैतूल

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन कलेक्टर रायसेन,
अनुविभागीय अधिकारी
तहसीलदार रायसेन

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री संजय जैन, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री आर0पी0पालीवाल, अभिभाषक–प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/17 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 165(7)(ख) में हुये संशोधन के फलस्वरूप पट्टा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि अन्तरण वर्ष 2000–01 के पश्चात् किया गया है तो अन्तरण की तारीख को ऐसी भूमि का बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत राशि और राशि पर अन्तरण की तारीख से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज भुगतान करने पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रश्नाधीन भूमि से अहस्तान्तरणीय शब्द हटाया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 10–2–2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–5–16 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क मुख्य रूप से केवल यही कहा गया कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में संशोधन अध्यादेश दिनांक 21–8–15 को लागू किया गया जिसके तहत वर्ष 2000–01 के बाद भूमि कय करने की स्थिति में तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत एवं उक्त राशि पर 1 अप्रेल 2000 से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से राशि जमा कराने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अहस्तान्तरणीय प्रविष्टि हटाने का आदेश पारित करेगा । उक्त संशोधन दिनांक 31–12–15 को निरस्त किया गया है । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन अधिनियम 2015) की धारा 6(2) के अन्तर्गत पूर्व अध्यादेश के अधीन की गई कार्यवाही इस अधिनियम के तहत की गई समझी जावेगी अर्थात जिस समय अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर कार्यवाही प्रचलित थी उस समय संशोधन दिनांक 21–8–2015 लागू थी । इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कलेक्टर द्वारा

अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन 1971 आरएन 426 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 165(7)(ख) में दिनांक 31–12–15 से पूर्व में किया गया संशोधन निरस्त किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–02–2016 को आदेश पारित किया गया है अर्थात् आदेश पारित करने के पूर्व ही संहिता की धारा 165(7)(ख) में दिनांक 21–8–2015 को दिया गया संशोधन निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त संशोधन का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गइ है और कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में इस वैधानिक स्थिति के संबंध में विस्तार से विवेचना कर अपील अग्राह्य की गई है इसलिये कलेक्टर का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2016 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर